दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त

निवाई। बरोनी थाना पुलिस ने पांचवें दिन भी लगातार अलग-अलग स्थानों से अवैध बजरी से भरे हुए दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। थाना अधिकारी बृजेंद्रसिंह राठौड ने बताया कि अवैध बजरी खनन व परिवहन की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेन्द्रसिंह भाटी एवं डीवाईएसपी अरविन्दकुमार के निर्देशन में अवैध बजरी परिवहन व खनन की रोकथाम के लिए संचालित अभियान के तहत थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया।

निर्जला एकादशी पर राहगीरों सहित आमजन को शरबत पिलाया

निवाई। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर कई स्थानों पर राहगीरों व वाहन चालकों को बुला-बुलाकर शरबत पिलाई गई। इस दौरान बस स्टेंड के पास केमिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में राहगीरों व आमजन को शरबत पिलाकर अनोखी पहल की है।

जो समाज के युवाओं के लिए प्रेरणा का श्रोत है। वहीं शहर में दिन भर सामाजिक व धार्मिक संगठनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर राहगीरों को ठंडाई, मैंगो शेक, शर्बत, शिकंजी, छाछ के स्टॉल लगाए गए। महिलाओं ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखकर सामूहिक कथा की। शहर के मन्दिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है।

- धार्मिक संगठनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर राहगीरों को ठंडाई, मैंगो शेक, शरबत आदि का वितरण किया

निवाई में बादरे वाले बालाजी के मंदिर में लोगों को शरबत पिलाया।

एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-आराधना के लिए समर्पित होता है। एकादशी पर पूरे दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु का नाम और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है। इस एकादशी को निर्जला और भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार बांदरे वाले बालाजी के मंदिर मे बांदरे नवयुवक मडल के तत्वावधान में राहगीरों व आमजन को शरबत पिलाकर पुण्य कमाया। इस दौरान युवकों ने भारी उत्साह के साथ आने जाने वाले राहगीरों का आमजन को बुला-बुलाकर शरबत पिलाई। इस अवसर पर ब्रजमोहन अठावाल, ओम प्रकाश प्रजापत, गोपाल कृष्ण पारीक, मोहित सैनी, धर्मसिंह गुर्जर, अभिषेक पारीक, विकाश कसाना कांटोली, गणेश चौधरी, अंकित प्रजापत व लक्ष्मीचन्द शर्मा, बांदरे बालाजी मण्डल के आदित्य शर्मा, जसवंत जायसवाल, रोहित शर्मा, राहुल शर्मा, योगेश टेलर व संतोष जायसवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

'रैगर महासभा आपके द्वार' अभियान शुरु

निवाई। अखिल भारतीय रैगर महासभा के तत्वावधान में बहुउद्देशीय मुद्दों को लेकर महासभा आपके द्वार अभियान का द्वितीय चरण तहसील दूनी के गांव ख्वासपुरा सें शुभारम्भ हुआ। महासभा के जिलाध्यक्ष शंकरलाल हाथीवाल ने बताया कि महासभा आपके द्वार अभियान का द्वितीय चरण को लेकर 9 जून तक तहसील दूनी, नगरफोर्ट एवं उनियारा तहसील के करीब 28 गाँवों में महासभा टीम द्वारा सामाजिक कुरुतियों को समाप्त करने एवं विभिन्न मुद्दों पर सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिला महामंत्री रामभज वर्मा बगड़ी ने बताया कि शुक्रवार को महासभा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत समाज को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए समाज की जनगणना एवं ठाामवार सरकारी व निजी क्षेत्र के अधिकारी व कर्मचारियों की सुचिया तैयार करना, प्रत्येक गाँव में महासभा के अधिक सें अधिक नये सदस्य बनाना, पाखंड, अंधविश्वास एवं आडंबरों के विरुद्ध समाज में चेतना पैदा करना, दहेज के सामान का प्रदर्शन नहीं करना एवं सिंवाला पर दहेज की सूची सुनाना, बारात में डीजे बंद, बारतियों की संख्या 200 सें अधिक नहीं, गार्डन व गैलरी में प्रिवैडिंग फोटो लगाने पर प्रतिबंध, मायरा व जामना पर साथ जाने वाले भाई बंधुओं को कपडो की बजाय नकद राशि देने, जामणा को बंद करने, केवल नहावण पर पांच कपडे देने तथा महिला की मृत्यु होने पर पीहर एवं पुरुष के ससुराल का ही कफऩ लेने, दाह संस्कार में केवल नारियल ही लेकर आने आदि कुरुतियों को बंद करने के लिए समाज के लोगों को जाठात किया जाएगा। अभियान में जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ शकुंतला वर्मा, जिला महामंत्री रामभज वर्मा, जिला संगठन सचिव शंकरलाल बांसिवल, तहसील अध्यक्ष राजेश देवतवाल, तहसील अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ अमित थलेटिया, जिला प्रचार प्रसार सचिव केलाराम सेवलिया, उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ मनराज तुनगरिया, सच्चिदानंद व ब्रजेश अध्यापक सहित प्रदेश एवं जिला कार्यकारणी के सदस्य मौजूद थे।

पेट्रोल डाल कर आग लगाने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

कोटपूतली। स्थानीय थाना पुलिस ने विगत 24 मई की रात्री को ग्राम खरखडी मोड स्थित एक शराब के गोदाम पर हुई आगजनी की घटना में कार्यवाही करते हुए तीन और आरोपीयों को गिरफ्तार करने में सफलता हांसिल की है। पुलिस उप महानिरीक्षक राजन दुष्यंत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र आरोपीयों की गिरफ्तारी करने के लिए निर्देशित किया था।

जिसकी पालना में एएसपी वैभव शर्मा व डीएसपी राजेन्द्र कुमार बुरडक एवं थाना प्रभारी राजेश शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया। एएसआई धोलाराम, हैड कानी. शमशेर सिंह, धर्मपाल, कानी. दयाराम, विरेन्द्र, राकेश व प्रदीप को शामिल किया।

पौधों के रख रखाव का लिया संकल्प

निवाई। प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत चांडक एसोसिएट्स खनन पट्टा धारक संस्थान के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर नदी क्षेत्र व हमीरपुर रोड सहित कई स्थानों पर पौधरोपण किया गया एवं भविष्य में इस अभियान को पर जारी रखने का संकल्प लिया। लीज प्रबंधक दलीप पारीक ने बताया कि वृक्षों की कमी से तापमान में बढोतरी हो रही है। वातावरण संतुलन के लिए पौधे लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि लगाएं गए सभी पौधों को पानी देने एवं उनके रख रखाव का भी संकल्प लिया गया। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षा ऋतु में संस्थान द्वारा सैंकडों पौधे लगाएं जाएंगे।

श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा

निवाई/गुंसी। गांव लुहारा में सती माता की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुक्रवार को गाजे बाजे से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रशासक बिंदु कंवर ने बताया कि लुहारा के भोमिया जी मंदिर के पास सैकड़ों वर्ष पुरानी दो सती माता की मूर्ति थी। दोनों मूर्ति बिना मंदिर के कच्चे स्थान पर ही बिराजमान थी। इन्हीं मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा एवं मंदिर में बिराजमान को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। आचार्य टीकम चंद एवं भगवानसहाय शर्मा के सानिध्य में वैदिक मंत्रोचारण के साथ 151 कलशों में अमृत जल भरकर गांव के मध्य में स्थित ठाकुरजी के मंदिर से कलश यात्रा रवाना हुई।

यात्रा गांव के मुख्य मार्गो से होती हुई स्थापना स्थल पर पहुंची जहां कलशों को स्थापित किया गया। यात्रा में डीजे के भक्तिमय भजनों पर श्रद्धालुओं जमकर भक्ति नृत्य किया। महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। आचार्य शर्मा ने बताया कि तीन दिवसीय कार्यक्रम में शुक्रवार को देहदान, शनिवार को अभिषेक एवं रविवार को प्राण प्रतिष्ठा एवं मूर्ति स्थापना की जाएगी।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य प्रभू दयाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री चांदमल शर्मा, निवासी- मकान नम्बर-4, नवहाल भवन, सेनापति हाउस के सामने, पुलिया के नीचे, अजय सर्किल, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान, मो0 न0-9352229113 का निवासी है। उपरोक्त वर्णित परिसर हम चारो भाईयो की पैतृक सम्पत्ति है। इस सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति मेरे अन्य भाई विक्रय, रहन, गिरवी एवं बैंक से लोन नही लेवे। मेरे अन्य भाईयों से इस सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति को खरीदने का कोई व्यक्ति संव्यवहार करता है तो पहले मेरे अभिभाष्य से सम्पर्क करे। इस बावत यह आम सूचना मे जनहित मे प्रेषित है। सूचित रहे।
जयपुर (नूतन कुमावत) एडवोकेट
दिनांक:-06.06.2025 मो-9887303680

मदरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर
(कार्यालय- 330 वसुन्धरा कॉलोनी, टोंक रोड़, जयपुर)
Ref No. MPGNSS/2025/66 Date: 06/06/2025
वार्षिक आम सभा सूचना
मदरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की वार्षिक आम सभा दिनांक 26/06/2025 को प्रातः 11 बजे समिति के वर्तमान कार्यालय 330, वसुन्धरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर पर आयोजित की जा रही है जिसमें आपकी उपस्थिती अनिवार्य है। आम सभा एजेण्डा इस प्रकार है:-1. कार्यकारिणी के कार्यो के संबंध में विचार 2. ऑडिट रिपोर्टो पर विचार 3. आक्षेपपूर्ति पर विचार 4. समिति के चुनाव करवाने पर विचार एवं अन्य विषयों पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार-विमर्श किया जावेगा। कोरमपूर्ति के अभाव में आम सभा उसी दिन निर्धारित समय के आधे घंटे पश्चात् आयोजित की जायेगी। (मंत्री)

सिन्धु नगर को-ऑपेरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि., जयपुर
1434, भूराटीबा, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर
Ref No. SNCHS/2025/63 Date: 06/06/2025
वार्षिक आम सभा सूचना
समिति के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 25/06/2025 को प्रातः 11 बजे समिति के कार्यालय 1434, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चौंदपोल बाजार, जयपुर पर आयोजित की जा रही है जिसमें आपकी उपस्थिती अनिवार्य है। इसमे:- 1. प्रबन्धकारिणी के कार्यकलापों पर विचार 2. ऑडिट रिपोर्ट पर विचार 3. आक्षेपपूर्ति पर विचार 4. विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन वाद-विवादो पर विचार व अन्य विषयों पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार-विमर्श किया जावेगा। कोरमपूर्ति के अभाव में आम सभा उसी दिन निर्धारित समय के आधे घंटे पश्चात् आयोजित की जायेगी। (सचिव)

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त- प्रथम, प्रताप नगर
क्रमांक: 3815 आम आवंटन सूचना दिनांक 06.06.2025
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 263/538 (EWS), (एरिया 47.625 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री विजेन्द्र यादव पुत्र श्री रामनारायण यादव को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 6341 दिनांक 23.10.2013 को जारी किया गया। श्रीमती मूली देवी पत्नी श्री कल्याण प्रसाद मीणा के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 844 दिनांक 27.07.2007 के द्वारा किया गया। श्रीमती मूली देवी के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन पत्र दिनांक 26.08.2025 को उप पंजीयक सांगानेर- प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती मूली देवी द्वारा श्री गणेश सैन पुत्र श्री हरीनारायण सैन को दिनांक 24.08.2005 को मुख्यप्रत्यानी आम धारक नियुक्त किया गया। श्री गणेश सैन द्वारा मुख्यप्रत्यानी आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 19.01.2006 के द्वारा श्री टीकमदास आलवानी पुत्र श्री मेघाराम आलवानी को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर -प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्री टीकमदास आलवानी द्वारा उक्त आवास को दिनांक 18.09.2013 के द्वारा श्री गजराज धाकड़ पुत्र श्री नवल सिंह धाकड़ को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता / केती श्री गजराज धाकड़ पुत्र श्री नवल सिंह धाकड़ द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री गजराज धाकड़ पुत्र श्री नवल सिंह धाकड़ का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
संपदा प्रबंधक, वृत्त प्रथम, राज. आ. मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त- तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर 0141-4901853
क्रमांक: 1782 आम आवंटन सूचना दिनांक 06.06.2025
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या 4/ख/21 नाहरी का नाका, जयपुर, क्षेत्रफल 137.00 वर्ग गज का आवंटन श्री गिरधारी सिंह राठौड़ पुत्र श्री सरदार सिंह को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2553 दिनांक 29.111.1976 जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 07.09.1983 को प्राप्त कर लिया गया। श्री गिरधारी सिंह राठौड़ की मृत्यु दिनांक 04.12.2024 को हो जाने के कारण श्री चन्दन सिंह राठौड़ पुत्र स्व. श्री जी०एस० राठौड़ एवं श्री किशन सिंह राठौड़ पुत्र श्री नारायण सिंह राठौड़ दत्तक पुत्र स्व. श्री गिरधारी सिंह राठौड़ के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा प्रशासनिक शुल्क की रसीद की प्रति, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति एवं रजिस्टर्ड वसीयतनामा की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तानरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति / बैंक / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री चन्दन सिंह राठौड़ पुत्र स्व.श्री जी०एस० राठौड़ एवं श्री किशन सिंह राठौड़ पुत्र श्री नारायण सिंह राठौड़ दत्तक पुत्र स्व. श्री गिरधारी सिंह राठौड़ के पक्ष में, उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही करदी जावेगी। संपदा प्रबंधक, वृत्त द्वितीय, राज. आ. मण्डल, जयपुर

सार्वजनिक सूचना नगर निगम, जयपुर, हैरिटेज
क्र.-एफ-6( )/उपा.लैण्ड(मा.प्र.)/नगिज./2025/390 दि.- 03.06.25
मूल भूखण्ड सं. 201, फन्टीयर कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर का पट्टा श्री मदनलाल जैन को दिनांक 11.12.1968 को 490.91 व.ग. का पट्टा जारी किया गया था। श्री नरेन्द्र देवानी पुत्र श्री सेवक कुमार देवानी एवं श्रीमती वन्दना देवानी पत्नि श्री कन्हैयालाल देवानी द्वारा विक्रय पत्रों की श्रंखला के आधार पर व शपथ पत्र प्रस्तुत कर का एवं अन्य दस्तावेजो के आधार पर आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण व पट्टा हेतु आवेदन किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त लैण्ड शाखा) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण व पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त (लैण्ड) नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल सईद सैफी पुत्र गुलाम रसूल नि-46, जेडीए क्वार्टर, सूरजपोल अनाज मंडी, जयपुर का पुत्र शोएब सैफी मेरे मुवक्किल के कहे में नहीं है और मेरे मुवक्किल व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनका पुत्र व बहु छोटी-छोटी बातों को लेकर गाली गलौच व झगड़ा करते है तथा जिस कारण मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र व पुत्रवधु को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से एवं अपने परिवार से बेदखल कर दिया है और मेरे मुवक्किल के पुत्र व बहु से सभी संबंध समाप्त कर दिये है, जो कोई व्यक्ति मेरे मुवक्किल के पुत्र शोएब सैफी व बहु से किसी भी तरह का सनव्यवहार करेगा उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा कृपया सूचित रहे।
दिनांक : 5.6.25 (मोईन खान), एडवोकेट
मो. नं. 7568474550

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
Jda.rajasthan.gov.in
क्रमांक:जविप्रा/उपा.जोन08/2025/डी-150 दिनांक-3/6/25
विज्ञप्ति निजी खातेदारी की आवासीय योजना श्री दाढूदयाल नगर ए के भूखण्ड संख्या ए-64 क्षेत्रफल 200 वर्ग गज की लीजडीड दिनांक 01.09.2003 को श्रीमती जसवन्त कौर पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह के नाम से जारी की गई थी। श्रीमती जसवन्त कौर की मृत्यू दिनांक 02.09.2008 को हो जाने पर इनके द्वारा पूर्व में एक पंजीकृत वसीयत इनकी पुत्री श्रीमती मनजीत कौर पुत्री स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह के पक्ष में निष्पादित की गई। इनके द्वारा नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन करने पर कार्यालय द्वारा क्रमांक 1882 दिनांक 11.11.2024 को नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात श्रीमती मंजीत कौर द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.12.2024 के माध्यम से श्री ब्रिजराज सिंह राजावत पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह को बैचान कर दिया गया। तत्पश्चात श्री ब्रिजराज सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड श्री अजय सिंह राजावत पुत्र श्री ब्रिजराज सिंह राजावत को उपहार कर दिया गया। वर्तमान में इनके द्वारा उक्त भूखण्ड/का नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। इस संबध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञिप्त प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जावेगा। समय सीमा पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नही होगी। सूचित रहे।
उपायुक्त जोन-8, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
न्यायालय- अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 10 जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर
मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम सुभाष चन्द व अन्य
वाद / बाजदायरी प्रार्थना-पत्र
प्रार्थना-पत्र संख्या-165/2024
नाम-(1). सुभाषचन्द पुत्र श्री कुन्दन मल जैन (2) अनिल कुमार पुत्र श्री कुन्दन मल जैन समस्त निवासी - मोहनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी- मकान न. 722, बोरडी का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर उक्त प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में यह आवेदन बाबत वाद-पत्र को रेस्टोर किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है, कि आप इस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 17/07/2025 को 10.30 प्रातः पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगें तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 19 माह 5 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई। मोहर अदालत
आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायालय संख्या 10 जयपुर महानगर प्रथम न्यायालय सांगानेर

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय नगर पालिका लवाण, (जिला-दौसा)
क्रमांक-न.पा.ल./2025-26/309 प्रारूप-10 नियम 6 (7) दिनांक-05/06/2025
(प्राधिकृत अधिकारी) नगर पालिका, लवाण
लोक सूचना
पवन कुमार महावर पुत्र शंकरलाल महावर हिस्सा पूर्ण जाति-कोली ने इस कार्यालय में नीचें उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक व्यवसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपनें अभिधृति अधिकारो के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः

क्र.सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र
1	दौसा/लवाण	लवाण	4077	0.10 है0

इसलिए, इसकें द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृमि अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के आवासीय उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करनें और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपनें आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपयुक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी की आक्षेप नहीं है तदनुसार मामलें का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 05/06/25 को जारी की गयी।
प्राधिकृत एवं अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका लवाण, दौसा

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर
क्रमांक : न.नि.भ./स्कीम/2025-26/3666 सार्वजनिक सूचना दिनांक : 28.05.2025
सुभाष नगर सूमो योजना भरतपुर के भूखण्ड संख्या 8 क्षेत्रफल 132.64 वर्गगज का आवासीय रूपान्तरण पट्टा विलेख क्रमांक 6236 दिनांक 13.02.2013 नगर सुधार न्यास, भरतपुर द्वारा श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व० श्री सोहन लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी - अशोक बिहार, सुभाष नगर, भरतपुर के नाम जारी किया गया। श्रीमती कृष्णा देवी की मृत्यु दिनांक 04.02.2024 को उनके पति श्री सोहन लाल शर्मा की मृत्यु दिनांक 02.06.2010 एवं उनकी पुत्री सुनीता की मृत्यु दिनांक 01.05.2021 को हो चुकी है। तहसीलदार द्वारा जारी परिवार सूची अनुसार श्रीमती कृष्णा देवी के वारिसान् सुनीता (मृतक) पत्नी श्री राजेश कुमार, श्री आर० साहिल (नवाज्ञा) पुत्र श्री राजेश कुमार हैं। आवेदक श्री आर० साहिल पुत्र श्री राजेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी - 204, बी ब्लॉक द्वितीय फ्लोर, गजेन्द्र बिहार, ए.डब्ल्यू.एच.ओ. कॉलोनी, धूलकोट माफी, देहरादून, सेलाकुई, उत्तराखण्ड उक्त भूखण्ड का नाम परिवर्तन कराना चाहते हैं। भूखण्ड संख्या 8, सुभाष नगर, सूमो, भरतपुर का नाम परिवर्तन कराने हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
भूखण्ड संख्या 8, सुभाष नगर, सूमो, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा की जानी है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में कार्यालय नगर निगम, भरतपुर में अपनी आपत्ति दर्ज करावें अन्यथा गुजरने म्याद भूखण्ड संख्या 8, सुभाष नगर, सूमो, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही कर दी जावेगी एवं कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
प्रभारी अधिकारी स्कीम शाखा, नगर निगम, भरतपुर

कृषि अनुसंधान केन्द्र
दाह्येद रोड़, बोरवट फार्म, बाँसवाड़ा (राज.) 327001
(महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर)
Mo. No. 8112207969 / 9414389929 Mail ID: zdr_arsb@yahoo.com, Visit us : www.mpuat.ac.in
क्रमांक : एफ( )/कृअके/2025-26/123-128 दिनांक 31.05.2025
निविदा सूचना (2025-26)
कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा के लिये कृषि कार्य हेतु पंजीकृत संवेदक/ ठेकेदार से अपेक्षित अनुभव क्षमताओं के साथ मासिक कार्य / कार्यानुसार हेतु खुली निविदाएं बंद लिफाफों में आमन्त्रित की जाती है। पंजीकृत संवेदक/ठेकेदारों को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बन्द लिफाफों में देनी होगी। निविदा प्रारूप, सम्पूर्ण नियम एवं शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpuat.ac.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदा प्रारूप प्राप्ति की अन्तिम तिथि 12.06.2025 प्रातः 11.00 बजे तक रहेगी। उक्त निविदायें उसी दिन प्रातः 11.30 बजे तक जमा की जाकर मध्यान्ह् 12.00 बजे कमेटी की उपस्थिति में खोली जावेगी। निविदा प्रारूप जमा करवाते समय कार्य के सामने वर्णित निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करवानी होगी।

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू.)	धरोहर राशि (रू.)	निविदा शुल्क (रू.)
फल अनुसंधान केन्द्र, जलदाय विभाग के पीछे, बांसवाड़ा तथा कृषि अनुसंधान केन्द्र बोरवट फार्म, बांसवाड़ा पर संचालित कपास, मक्का, PVT परियोजना में कृषि कार्य।	723575/-	14500/-	500/-

संभागीय निदेशक अनुसंधान

खोया पाया
मेरा मकान नम्बर- 163/119 का पजेशन लेटर 5269 मालवीय नगर से प्रताप नगर के बीच गुम हो गया है- 9902066968
मेरे प्लाट का मूल आवंटन पत्र जो कि लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, प्लाट न.201, कृष्णा नगर, जयसिंहपुरा उर्फ़ रूपवास, डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर के नाम से है खो गया है कृपया मिलने पर सूचित करें मो.9664124376
मेरे प्लॉट संख्या 59, प्रेम कुंज, ग्राम जयसिंहपुरावास, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जयपुर के मूल दस्तावेज़ जिसमे खातेदारी पट्टा, सोसाइटी साइट प्लान, रसीद, जेडीए एनओसी, पजेशनलेटर थे दिनांक 05.06.2025 को जयपुर मे कही गिर गए है। मिलने पर सूचित करें: 9352867071
मेरे मकान 1/142 घाट की गुनी, जयपुर का मूल आवंटन पत्र डिक्लेरेशन लेटर- जवाहर नगर में कहीं खो गए है मिलने पर सूचित करें- 7849923861 लालसिंह

कार्यालय नगर पालिका मण्डल चाकसू, जिला जयपुर ग्रामीण (राज.)
क्रमांक:-न.पा.चा./2025/1773 सार्वजनिक सूचना दिनांक 05.06.25
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गिरधारीलालपुरा से शक्करखावदा रोड की ओर वर्तमान में कच्चा रास्ता मौजूद है जो राजस्व ग्राम नैनवा की ढाणी पटवारी हल्का शक्करखावदा, भू.अभि.नि. क्षेत्र छान्देलकलां, तहसील चाकसू, जिला- जयपुर के खसरा संख्या 164, 163, 155, 156, 148 आदि की भूमि से होकर गुजर रहा है। उक्त रास्ते का मार्गाधिकार निर्धारित नहीं किया हुआ है, जिससे इस रास्ते पर भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही लम्बित है। अतः नविवि की अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 की पालना में इस रास्ते की चौड़ाई 60 फीट निर्धारित की जानी है। अतः इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या कोई सुझाव प्रस्तुत करना चाहे तो 10 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। 10 दिवस पश्चात प्रस्तुत गुणावगुण के आधार पर आपत्ति या सुझावों (प्राप्त होने की स्थिति में) का निस्तारण करके एवं आपत्ति या सुझाव प्राप्त नही होने की स्थिति में सीधे ही इस कच्चे रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट निर्धारित कर दिया जावेगा एवं तद्नुसार भविष्य में मास्टर प्लान में शामिल कर लिया जावेगा। साथ ही इस रास्ते पर वर्तमान में लंबित तथा भविष्य में प्राप्त हेतु वाले प्रकरणों का निपटारा इस मार्ग को 60 फीट मानते हुए ही किया जावेगा। सूचित हो।
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका चाकसू

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर - 302 005
दूरभाष नं. 0141-2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in
क्रमांक: खअ/जय / सीसी - 2 / ख.प.11/1999/ विज्ञप्ति
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विरेन्द्र मीणा पुत्र श्री रामधन मीणा निवासी ग्राम पोस्ट कालवाड़ तहसील कालवाड़ जिला जयपुर के पक्ष में खनिज चेजा पत्थर का खनन पट्टा संख्या 11/1999 क्षेत्रफल 1.00 हैक्टर निकट ग्राम कालवाड़ तहसील कालवाड़ जिला जयपुर में स्वीकृत/ प्रभावशील रहा। पट्टाधारी श्री वि